सेवा में,

संयुक्त निबन्धक, (एडमिन–ए (1))
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

महोदय,

आपके ई–मेल पत्र दिनांक 04.02.2023 द्वारा मेरे जी0पी0एफ0 खाते से भवन निर्माण हेतु स्थाई अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु के बावत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर कुछ आपत्तियां अंकित की गयी है। आपत्तियों का निवारण निम्नवत् किया जा रहा हैः–

1. वित्तीय वर्ष– 2022–23 के दौरान जी0पी0एफ0 पासबुक में हुई कटौतियों एवं आहरण कॉलम का सत्यापन कोषागार एवं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कर दिया गया है।

2. a. मेरे द्वारा सेवाकाल के दौरान किसी भी उद्देश्य हेतु स्थाई अग्रिम जी0पी0एफ0 खाते से नहीं लिया गया है।

b. लागू नहीं है।

c. मेरे द्वारा सेवाकाल के दौरान वर्ष 2002–03 में कार क्रय हेतु मु0 34,500/– अस्थाई अग्रिम जी0पी0एफ0 खाते से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अस्थाई अग्रिम नहीं लिया गया है।

d. वर्ष 2002–03 में स्वीकृत मु0 34,500/– अस्थाई अग्रिम जी0पी0एफ0 खाते से घटा दिया गया है एवं स्वीकृत अस्थाई अग्रिम की वसूली सितम्बर 2002 से आरम्भ होकर मार्च 2004 तक पूर्ण हो चुकी है।

3. मेरे जी0पी0एफ0 खाता में वर्ष 2022–23 तक के माह जनवरी 2023 तक मु0 99,55,174/– मात्र जमा है। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

4. उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के अन्तर्गत जी0पी0एफ0 खाते से भवन निर्माण हेतु स्वीकृत स्थाई अग्रिम का उपभोग मेरे द्वारा भवन निर्माण में ही किया जायेगा। प्रमाण–पत्र अवलोकनार्थ संलग्न है।

5. वर्ष 2002–03 में मु0 34,500/– अस्थाई अग्रिम जी0पी0एफ0 खाते से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अस्थाई अग्रिम नहीं लिया गया है। सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के जी0पी0एफ0 पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

6. मैं प्रमाणित करता हूँ कि जी0पी0एफ0 खाता संख्या–LJU- 19947 से अधिक भुगतान होने की स्थिति में अधिक भुगतान हुई धनराशि यथाशीघ्र वापस कर दूंगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

7. जी0पी0एफ0 प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप में मु0 30,00,000/– के स्थान पर मु0 20,00,000/– भवन निर्माण हेतु स्थाई अग्रिम स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

उपर्युक्त अंकित कमियों का निराकरण कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मु0 20,00,000/– भवन निर्माण हेतु स्थाई अग्रिम जी0पी0एफ0 खाता संख्या उपर्युक्त से स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

Ashok Kumar Yadava-I
7.2.2023

(अशोक कुमार यादव– I)
जनपद न्यायाधीश
सोनभद्र

District Judge
Sonbhadra (U.P.)